E:\Chulet Letters\DD Letter.doc- 33 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(2)18/मो./आईसीडीएस/05/ 4750-82 जयपुर, दिनांक 22/1/10

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः– मासिक सूचनाओं में लाभान्वितों के पोषण स्तर/वृद्धि निगरानी की सूचना सम्प्रेषण।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय स्तर से आपको वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान नवीन पंजिकाएं तथा आंगनबाडी केन्द्र स्तर के मासिक सूचना प्रपत्र भिजवाये गये थे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थे कि इन सभी पंजिकाओं एवं प्रपत्रों को तुरन्त प्रभाव से आंगनबाडी केन्द्रों पर वितरित कर नवीन प्रपत्रों में सूचना संधारण एवं सम्प्रेषण सुनिश्चित करें।

विगत 9 माह के दौरान आपसे प्राप्त परियोजनाओं की कम्प्यूटराईज्ड मासिक सूचना प्रपत्र के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि अभी भी पोषण स्तर/वृद्धि निगरानी की सूचना प्रपत्र के बिन्दु संख्या–5 में सामान्य श्रेणी, ग्रेड–प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ में दर्शाई जा रही है। इस दौरान राज्य में 11 जिलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित नवीन वृद्धि निगरानी मानदण्डों पर आधारित वृद्धि निगरानी तालिकाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। इन 11 जिलों में विभिन्न स्तर के कार्मिकों को नवीन मानदण्डों के अनुसार वृद्धि निगरानी हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है। फिर भी इन जिलों की सूचनाओं में भी उपरोक्तानुसार सूचनाएं भिजवाई जा रही है। यह आश्चर्य का विषय है कि जब आंगनबाडी केन्द्र स्तर से ही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है तो परियोजना अधिकारियों द्वारा किस आधार पर ग्रेड प्रथम से चतुर्थ में बच्चों के वृद्धि का संधारण किया जा रहा है। इससे स्वतः ही स्पष्ट है कि सूचनाएं परियोजना स्तर से काल्पनिक आधार पर तैयार कर मासिक सूचनाओं में निदेशालय को भिजवाई जा रही है।

आपकी जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रेड संख्या–1 एवं 2 के बच्चे कुपोषित की श्रेणी में तथा ग्रेड–3 एवं 4 के बच्चे अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में रहेगे। वजन लिये गये बच्चों की संख्या सूचना यथावत रहेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनवरी,10 की मासिक सूचनाओं में नवीन मानदण्डों के अनुसार कम्प्यूटराईज्ड मासिक सूचना **प्रपत्र के बिन्दु संख्या–5 में पोषण स्तर/वृद्धि निगरानी की सूचनाएं सामान्य श्रेणी, कुपोषित बच्चे तथा अति कुपोषित बच्चों के रूप में अंकित की जावे।** इसी प्रकार की सूचना प्रपत्र प्रथम एवं द्वितीय (संकलित एक्सल शीट) में भी अंकित कर भिजवाये।

(signature)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर